

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4 () परावि/पीसी/EU-SPP/2011/पार्ट फाईल/569

जयपुर, दिनांक : 30/3/15

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 72/2014-15)

यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधि Design and Carryout Training Programmes (Capacity Building) के तहत योजनान्तर्गत चयनित 11 जिलों यथा बाडमेर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सीकर के जनप्रतिनिधि/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने व एकरापोजर विजिट एवं इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की ट्रेनिंग सेल के सशक्तिकरण इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के माध्यम से की जाती है।

उक्त गतिविधि Design and Carryout Training Programmes (Capacity Building) हेतु राशि रु. 65,00,000/- (अक्षरे राशि रुपये पैसठ लाख मात्र) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को आनलाईन/ऑफलाईन भुगतान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


इस राशि के लिये निम्नांकित बजट शीर्ष, के सम्मुख अंकित राशि की सीमा तक व्यय करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी के अधिकार मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 17.3.2015 तथा वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग के आदेश दिनांक 24.3.2015 द्वारा विभाग को प्रदत्त किये गये हैं। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

बजट मद

मांग संख्या - 30

- 2702 - लघु सिंचाई
01 - सतही जल
796 - जनजातिय क्षेत्र उप योजना
(01) - राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम
[01] - अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से
29 - प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (आयोजना)

राशि रुपये 65.00 लाख
(अक्षरे राशि रुपये पैसठ लाख मात्र)



(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
3. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि राशि का व्यय होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भिजवावे।
4. मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
5. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उपरोक्तानुसार स्वीकृति में वर्णितानुसार राशि का आहरण कर इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के ओ.बी.सी. बैंक, बजाज नगर शाखा के खाता संख्या 10332010004870 के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही करावे।
7. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

अधिसाषी अभियन्ता (टी.सी.)